अपील डिक्री / टी.ए. / 5863 / 2003 / उदयपुर
रोड सिंह आदि   बनाम   राज्य सरकार आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24–4–2018

खण्ड–पीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री विजेन्द्र चौधरी, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा–224 विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 1–7–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–3/01 शीर्षक रोड सिंह आदि बनाम राज्य सरकार को खारिज किया है।

द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण / प्रार्थीगण ने एक दावा संख्या–48/2000 अन्तर्गत धारा–88–188–90–92A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक रोड सिंह आदि बनाम राज्य सरकार, न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दावा में वर्णित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का निवेदन किया। विद्वान सहायक कलेक्टर मुख्यालय उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 29–8–2000 के द्वारा दावा खारिज कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर मुख्यालय उदयपुर के निर्णय दिनांक 29–8–2000 के विरूद्ध वादी / अपीलान्ट ने प्रथम अपील संख्या–3/2001 शीर्षक रोड सिंह आदि बनाम राज्य सरकार, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1–7–2003 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर मुख्याल उदयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–8–2000 तथा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय एवं डिक्री

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 1–7–2003 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी के एडमिशन पर सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया गया। वादी / अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जा के आधार पर दावे के माध्यम से अधिकारों की घोषणा चाहते हैं। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती रूप से इस बिन्दू को निर्णित करते हुये अपने निर्णय एवं डिक्री वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये हैं। समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरुप यह द्वितीय अपील एडमिशन स्तर पर ही खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **(विजय कुमार सोनी)** **सदस्य** **सदस्य**	

अपील डिक्री / टी.ए. / 5863 / 2003 / उदयपुर

रोड सिंह आदि बनाम राज्य सरकार आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3	